UPCH010004392026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–185/2026

सुनील सिंह पुत्र अवध बिहारी सिंह निवासी कनपुरा थाना जवा जनपद रींवा।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन

मु0अ0सं0–167/2025
धारा–103(1) बी0एन0एस0 (पुरानी धारा 302 भा0दं0सं0)
238 बी0एन0एस0(पुरानी धारा 201 भा0दं0सं0),
61(2)बी0एन0एस0(पुरानी धारा 120बी भा0दं0सं0)
थाना राजापुर जनपद – चित्रकूट।

10.03.2026 **निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र**

1. आवेदक/अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र अवध बिहारी सिंह की तरफ से मु0अ0सं0–167/2025 धारा–103(1) बी0एन0एस0 (पुरानी धारा 302 भा0दं0सं0), 238 बी0एन0एस0(पुरानी धारा 201 भा0दं0सं0), 61(2) बी0एन0एस0 (पुरानी धारा 120बी भा0दं0सं0) थाना राजापुर जनपद चित्रकूट में जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र शपथपत्र 4ख से समर्थित है तथा शपथपत्र के प्रस्तर 2 में स्पष्ट रूप से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र होने का उल्लेख किया गया है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनानुसार अभियोजन का केस इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता गिरजाशरण सिंह की ओर से दिनॉक 02.07.2025 को थाना राजापुर जनपद चित्रकूट में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी कंधवनिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट का मूल निवासी है। दिनॉक 30.06.2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम सिकरी अमान राजापुर छीबो रोड पर किनारे एक अल्टो कार जिसका नं0– एम0पी019सीबी 3053 है। दिनॉक 30.06.2025 की सुबह करीब 4 से 5 बजे के आसपास पूर्णरूप से जल गयी है। सडक के किनारे खडी है, उसमें एक शव भी पूर्णरूप से जला हुआ मिला है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है। उक्त गाडी उसके साले सगमेन्द्र सिंह के नाम है जिसको उसके दामाद सुनील सिंह पुत्र अवध बिहारी सिंह निवासी कनपुरा थाना जबा जिला रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले है जो रीवा में आनन्द नगर में रहते हैं, उनके द्वारा चलायी जाती है। उसके बेटे सतेन्द्र सिंह मौके पर अमान गॉव गये थे, उन्होने देखकर बताया कि यह वही कार

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.03.10 16:54:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है जो उसके दामाद सुनील सिंह चलाते थे। उसकी पुत्री हेमा सिंह ने पूछने पर बताया कि सुनील दिनॉक 29.06.2025 की शाम 8 बजे हार्वेस्टर के ड्राईवर को लेने के लिए सुल्तानपुर अकेले इसी गाडी से गये थे, उनके पास मोबाइल नं0– 9039033661 था। उनसे उसकी करीब 11.20 बजे रात को बात हुई थी, उन्होने बताया था कि वह इस समय रामबाग के पास है, उसके बाद मोबाइल स्विचआफ हो गया था। पता चला कि गाडी में पुलिस को जला हुआ मोबाइल व सिम मिला है लेकिन शव की पहचान नहीं हो पायी है, न ही सुनील सिंह अभी तक मिले हैं। ऐसे में उसके दामाद सुनील सिंह की अचानक गाडी में आग लगने से भी मृत्यु हो सकती है लेकिन यह भी आशंका है कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके दामाद की हत्या करके गाडी में आग लगा दिया हो जिससे शव पहचान में न आये, अतः उसकी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाये।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या करते देखे जाने की कोई सीधी साक्ष्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और जो परिस्थितियॉ बतायी गयी हैं वे काल्पनिक व निराधार हैं। गिरजाशरण सिंह की तहरीर के आधार पर जली हुई कार उसके साले सगमेन्द्र सिंह की होना तथा अभियुक्त द्वारा चलाया जाना बताया गया है परन्तु विवेचक ने इस तथ्य की पुष्टि वाहन स्वामी सगमेन्द्र से नहीं की गयी और न ही आरोपी के घर जनपद रीवां जाकर घटनास्थल के रास्ते से सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा अथवा पेट्रोल पम्प से कोई तकनीकी अथवा तात्विक साक्ष्य संग्रहीत कर पुष्ट नहीं किया जा सका। अभियुक्त न तो कथित कार चला रहा था और न ही किसी हेतुक के कारण कथित मृतक को अपने साथ लाकर उसकी हत्या कारित की है। कथित मृतक के साथ अभियुक्त को आखिरी बार देखे जाने की भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्राप्त किये गये शव के अवशेषों को विनय सिंह के ही शरीर के अंश होने की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अभी तक यह भी निश्चित नहीं है कि प्राप्त किये गये शव के अवशेष किसी महिला के हैं अथवा पुरूष के, डी0एन0ए0 रिपोर्ट भी अभी तक अप्राप्त है। कथित मृतक के शरीर पर कपूर फेंककर गैस सिलेण्डर का रेगुलेटर आन करके एक कपूर में आग लगाकर मृतक के शरीर में फेंककर जलाकर मार डालने का कथन किया गया है परन्तु जली हुई कार से गैस सिलेण्डर, दो स्प्रे बोतल की कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा अभियुक्त दिनॉक 08.07.2025 से कारागार में निरूद्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदनपत्र

स्वीकार करके उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण के अपराध में अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। अभियुक्त सुनील सिंह द्वारा बीमा का पैसा प्राप्त करने हेतु पत्नी के साथ मिलकर एक षड़यंत्र रचा गया और सुनील सिंह ने अपने ही कद काठी के व्यक्ति को कार में बैठाकर उसमें आग लगा दिया तथा अपने को मृत घोषित करा दिया ताकि दो करोड रूपये बीमा का पैसा प्राप्त हो सके। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि सुनील सिंह की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी ने यह जानते हुए कि उसका पति जीवित है, समाज को दिखाते हुए उसका क्रियाकर्म व संस्कार किया। मृतक के भाई विकास सिंह ने अपने धारा 180 बी0एन0एस0एस0(पुरानी धारा 161 दं0प्र0सं0) में भी इस आशय का बयान दिया है कि उसने सुनील सिंह को अपने भाई विनय को अपनी गाडी में बैठाकर ले जाते हुए देखा है। उक्त साक्षी घटना को कारित होने के पहले अन्तिम बार देखे जाने वाला साक्षी है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) का अग्रेतर यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में कारित अपराध की प्रकृति, स्वरूप, गम्भीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/ अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. मैने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. अभियोजन अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/ अभियुक्त बीमा का पैसा प्राप्त करने हेतु आवेदक/अभियुक्त अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक षड़यंत्र के तहत अपने ही कद काठी के व्यक्ति को कार में बैठाकर उसमें आग लगा दिया तथा अपने को मृत घोषित करा दिया ताकि दो करोड रूपये बीमा का पैसा प्राप्त हो सके। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि सुनील सिंह (आवेदक/अभियुक्त) की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी ने यह जानते हुए कि उसका पति जीवित है, समाज को दिखाते हुए उसका क्रियाकर्म व संस्कार किया। साक्षी विकास सिंह ने केस डायरी के पर्चा नं0–4 में अपने धारा 180 बी0 एन0 एस0 एस0 (पुरानी धारा 161 दं0प्र0सं0) में भी यह स्पष्ट कथन किया है कि सुनील सिंह उसके भाई विनय के साथ उसके घर आता जाता था। उसका भाई नशे का आदी था, उसी का लालच देकर दिनॉक 29.06.2025 को सुनील सिंह समय करीब 15.30 बजे उसके घ

ार आया और उसके भाई विनय चौहान को बिना कुछ बताये अपनी गाडी सं0–एम0पी019सीबी 3053 पर बैठाकर ले गया। कल दिनॉक 06.07.2025 को उसे मालूम हुआ कि जिस गाडी से सुनील उसके भाई को लेकर गया था उस गाडी में आग लग गयी है और उसमें मात्र एक व्यक्ति जला है जिसके शव की पहचान नहीं हो पायी है। इस खबर पर वह थाने आया है। उसे यह भी पता चला है कि सुनील सिंह जिन्दा है और कहीं गायब हो गया है। उसका भी अब तक पता नहीं चला है, उसी ने ही किसी लोभ व लालच में उसके भाई को शराब पिलाकर किसी लालचवश उसी गाडी में उसको बैठाकर आग लगाकर हत्या कर दिया है। दौरान विवेचना यह भी पाया गया कि दिनॉक 09.10.2024 को सुनील सिंह द्वारा खाता खोलवाकर टाटा एआईए में पालिसी नम्बर यू171081822 पर 197484 रूपये ट्रान्सफर किये गये। जब उक्त पालिसी नम्बर के बारे में जानकारी की गयी तो बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत इन्श्योरेंस कराने वाले व्यक्ति के परिजनों को उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद दो करोड रूपये का लाभांश मिलता है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्ता द्वारा बीमा की धनराशि हथियाने की नीयत से योजना बनाकर आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वयं को मृत घोषित करते हुए अन्य व्यक्ति विनय चौहान की गाड़ी में आग लगाकर उसे जलाकर उसकी हत्या कारित किया जाना बताया गया है तथा प्रस्तुत प्रकरण के अपराध में आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्ता की सक्रिय भूमिका बतायी गयी। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं हैं तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सुनील सिंह पुत्र अवध बिहारी सिंह की तरफ से मु0अ0सं0–167/2025 धारा–103(1) बी0एन0एस0 (पुरानी धारा 302 भा0दं0सं0), 238 बी0एन0एस0(पुरानी धारा 201 भा0दं0सं0), 61(2) बी0एन0एस0 (पुरानी धारा 120बी भा0दं0सं0) थाना राजापुर जनपद चित्रकूट में प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 10.03.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड सं0–यू0पी05751